न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)
(पीठासीन अधिकारीः श्रीमती अल्पा चौधरी, आई.ए.एस.)

प्रार्थी

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, सिरोही, जिला सिरोही

बनाम

अप्रार्थी

1. श्री ओबा पुत्र श्री बन्ना जाति राजगर ब्राह्मण निवासी तंवरी तहसील व जिला सिरोही।
2. श्रीमती देवीबाई पुत्री श्री ओपाराम पत्नि श्री प्रभुलाल पुरोहित निवासी निम्बोडा तहसील सिरोही जिला सिरोही।
3. श्रीमती दीवा देवी पुत्री श्री ओपाराम पत्नि श्री प्रकाश कुमार निवासी वलदरा तहसील व जिला सिरोही।
4. श्री मोहनलाल पुत्र श्री ओपाराम जाति राजगर ब्राह्मण निवासी तंवरी तहसील व जिला सिरोही।
5. श्री मोहनलाल पुत्र श्री अचलाराम जाति राजगर ब्राह्मण निवासी तंवरी तहसील व जिला सिरोही हाल मोहनलाल ए. पुरोहित सूरज पैलेस, एच.एस. जी. सोसायटी लि. 202 2nd Floor नवगड रोड बिहाइन्ड श्री राम ज्वैलर्स भाईन्दर ईस्ट जिला ठाणे महाराष्ट्र।
6. श्री राजेन्द्र पुत्र श्री जगता जाति राजगर ब्राह्मण निवासी फासरिया रोड तंवरी तहसील व जिला सिरोही।
7. श्री लक्ष्मण पुत्र श्री जगता जाति राजगर ब्राह्मण निवासी फलवदी रोड तंवरी तहसील व जिला सिरोही हाल Grand Purohit Catering Panchvati Sevakunj Nasik, Maharashtra।
8. श्री बसन्त कुमार पुत्र श्री ओपाराम जाति राजगर ब्राह्मण निवासी तंवरी तहसील व जिला सिरोही हाल स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान आरसेटी के पास सिरोही।

न्यायालय जिला कलक्टर सिरोही (राज.)

"प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 82 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956"

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र संख्याः 06/2022

उपस्थितिः

(1) नायब तहसीलदार सिरोही, पेरोकार सरकार।
(2) अधिवक्ता श्री चन्द्रप्रकाश कूम्पावत, अप्रार्थी संख्या एक, तीन व चार की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक 10.02.2025**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी तहसीलदार, सिरोही द्वारा यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण के विरुद्ध राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के तहत प्रस्तुत कर अनुरोध [illegible] तहसील– सिरोही, जिला– सिरोही के वर्तमान खसरा संख्या 1268, 1269 [illegible]71, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, [illegible] कुल रकबा 6.22 हैक्टेयर की भूमि श्री सारणेश्व[illegible]बन्दोबस्त संवत 2000 के खाता संख्या 150 के अनु[illegible]225, 226, 227, 228, 22[illegible] कुल किता 7 रकबा 38 बीघा 09 बिस्वा में कॉल[illegible]ख्या 2 के अनुसार नाम [illegible] मय वल्दियत कौमियत सकूनत के रूप में श्री सारेणश्वरजी स्थान सिरोही दर्ज है। यह

जिला कलेक्टर, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Alpa Choudhary
Date: 2025.02.12 15:58:52 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

कि इसके उपरान्त संवत 2013–2032 में महकमा बन्दोबस्त तैयार किया गया। इसके मिलान क्षेत्रफल अनुसार उपरोक्त वर्णित खसरा के नए खसरा संख्या 229 से 235 कुल किता 7 रकबा 38 बीघा 9 बिस्वा बने है। उक्त महकमा बन्दोबस्त के खाता संख्या 197 में कॉलम संख्या 3 में भोक्ता का नाम, पिता का नाम, जाति व निवास स्थान के नीचे श्री सारणेश्वरजी स्थान सिरोही माफी देवस्थान सिरोही का नाम दर्ज है एवं कॉलम संख्या 4 में उपभोक्ता का नाम, पिता का नाम, जाति व निवास स्थान के नीचे लाला वल्द धीरा 1/2, पूनमा वल्द अन्ना 1/4, हंसा वल्द पन्ना 1/8, अचला वल्द खीमा 1/8 कौम ब्राह्मण सा. देह प.ल.न. 191 खातेदार दर्ज है। इसके आगे इसी कॉलम में किस्म भूमि चाही दोयम 24 बीघा 1 बिस्वा, पडत अव्वल 7 बीघा 13 बिस्वा, गै.मु. 6 बीघा 15 बिस्वा कुल रकबा 38 बीघा 09 बिस्वा दर्ज है। यह कि इसके उपरान्त तैयार जमाबन्दी संवत 2020–2023 के खाता संख्या 173 में कॉलम संख्या 3 व 4 में श्री सरकार दर्ज है एवं कॉलम संख्या 5 में लाला वल्द धीरा 1/2, पूनमा वल्द अन्ना 1/4, हंसा वल्द पन्ना 1/8, अचला वल्द खीमा 1/8 कौम रावल ब्राह्मण सा. श्री सारणेश्वरजी सिरोही खातेदार दर्ज है। इसी जमाबन्दी के कॉलम संख्या 22 विशेष विवरण में जरिए नामान्तरकरण संख्या 48 (जरिए रजिस्टर्ड बेचान) द्वारा श्री जगता, ओपा, रावता, ओबा पिसरान वन्नाजी को. राजगुरू ब्राह्मण सा देह खातेदार दर्ज हुआ है। यह कि इसके उपरान्त तैयार जमाबन्दी संवत 2024–2027 के खाता संख्या 61 के अनुसार क्रम संख्या 3 में अंकित खातेदार बदस्तूर रहे, जो निरन्तर जमाबन्दी संवत 2028–2031 के खाता संख्या 58, जमाबन्दी संवत 2031–34 के खाता संख्या 62, जमाबन्दी संवत 2035–2038 के खाता संख्या 70, जमाबन्दी संवत 2044–2047 के खाता संख्या 76, जमाबन्दी संवत 2048–2051 के खाता संख्या 81, जमाबन्दी संवत 2052–2055 के खाता संख्या 92 में उक्त इन्द्राज एवं रकबा बदस्तूर रहे। यह कि तत् महकमा बन्दोबस्त संवत 2060 से 2079 तैयार हुआ, जिसके मिलान क्षेत्रफल अनुसार उक्त वर्णित खसरा नम्बर 229 से 235 के नए नम्बर 1270 से 1282 कुल किता 15 रकबा 6.22 हैक्टेयर दर्ज हुआ, जिसमें भी खाता संख्या 245 के अनुसार उक्त वर्णित खातेदार जगता, ओपा, रावता, ओबा पि. बन्ना हि.ब. जाति रावल ब्राह्मण सा. देह खातेदार दर्ज है। यह कि इसके उपरान्त जमाबन्दी संवत 2063–2066 के खाता संख्या 84 व संवत 2067–2070 में खाता संख्या 95 में भी उक्त खातेदार एवं रकबा, किता बदस्तूर जारी रहे। इसी जमाबन्दी संवत 2067–2070 में जरिए नामान्तरकरण संख्या 355 दिनांक 01.02.2013 के द्वारा विरासत से जगता के स्थान पर लक्ष्मण, राजेन्द्र, कृष्ण पि. जगता, गीता पुत्री जगता, चुन्नीबाई पत्नि जगता दर्ज हुए। इसके उपरान्त बनी जमाबन्दी संवत 2071–2074 में उपरोक्तानुसार हुए परिवर्तनों से दर्ज खातेदार बदस्तूर जमाबन्दी रहे एवं जमाबन्दी में जरिए नामान्तरकरण संख्या 456 दिनांक 20.02.2016 (विरासत) के द्वारा रावता के स्थान पर फालूबाई पत्नि रावता एवं नामान्तरकरण संख्या 472 दिनांक 20.02.2017 (विक्रय) के द्वारा फालूबाई पत्नि रावता के स्थान पर मोहनलाल पुत्र श्री अचलाराम जाति पुरोहित दर्ज हुआ और शेष इन्द्राज बदस्तूर जमाबन्दी रहे। यह कि इसके उपरान्त भूमि रिकॉर्ड ऑनलाईन किया गया, जिसमें अन्तिम चौसाला आधार संवत 2071–2074 जमाबन्दी 2075 (वर्ष 2019) से स्थाई के खाता संख्या 286 में जरिए नामान्तरकरण संख्या 561 दिनांक 05.10.2019 (विरासत) के द्वारा श्री ओपा पुत्र बन्ना के [illegible] या ओपाराम, मोहनलाल, बसन्त कुमार पुत्रगण ओपाराम दर्ज हुए। ज[illegible]करण संख्या 614 दिनांक 21.09.2020 (बेचान) के द्वारा [illegible] के स्थान पर मोहनलाल पुत्र श्री ओपाराम [illegible] नामान्तरकरण संख्या 678 दिनांक 16.12.2021 (हकत्याग) द्वारा कृष्ण पुत्र जगता द्वारा अपना हिस्सा राजेन्द्र पुत्र जगता के पक्ष में हकत्याग किए जाने से हि[illegible] राजेन्द्र के पक्ष में दर्ज हुआ। यह कि उपरोक्त वर्णित परिवर्तनों को समाहित करने पर वर्तमान में प्रचलित जमाबन्दी के

जिला कलेक्टर, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Alpa Choudhary
Date: 2025.02.12 15:58:52 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

खाता संख्या 286 में उक्त आराजी अप्रार्थीगण के नाम से विभिन्न हिस्से दर्ज है। यह कि उक्त प्रकरण में मन्दिर के नाम दर्ज भूमि का जमाबन्दी संवत 2020–2023 में खातेदारों के नाम दर्ज किए गए एवं जरिए नामान्तरकरण संख्या 48 दिनांक 28.10.1964 द्वारा जो प्रथम बेचान हुआ है। कालान्तर में समस्त प्रविष्टियां इस कारण ही उत्तरोत्तर विभिन्न कारणों यथा विरासत, बेचान एवं हकत्याग से दर्ज हुई है। यह कि उक्त प्रकरण में महकमा बन्दोबस्त संवत 2013–2032 में उपभोक्ता का नाम दर्ज किया जाना एवं जमाबन्दी संवत 2020–2023 में उक्त उपभोक्ताओं को खातेदार के रूप में दर्ज किए जाने एवं इसके उपरान्त उन खातेदारों द्वारा बेचान किए जाने से उत्तरोत्तर हुए समस्त परिवर्तन नियम विरूद्ध है। मूर्ति शाश्वत रूप से नाबालिग है एवं नाबालिग की भूमि/खातेदारी अधिकार न तो किसी को हस्तान्तरित किए जा सकते है न ही मूर्ति की भूमि से खातेदार अधिकार समाप्त किए जा सकते है। अतः जो भी परिवर्तन प्रथम स्तर पर किए गए है, वे अदिति शून्य व प्रभावहीन है और उपभोक्ताओं को कोई अधिकार न तो विधि में प्राप्त होते है और न ही उत्पन्न होते है। इस कारण पश्चातवर्ती समस्त संव्यवहार व नामान्तरकरण अवैध व शून्य है, जो राजस्थान जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत नियम विरूद्ध होने से निरस्त किए जाने योग्य है। अतः मौजा तंवरी के बन्दोबस्त सम्वत 2071 से 2074 के खसरा नम्बर 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281 व 1282 कुल किता 15 कुल रकबा 6.22 हैक्टेयर भूमि मन्दिर श्री सारणेश्वरजी महादेव के नाम दर्ज करवाने के आदेश पारित किये जावे।

(2) प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किए गए। प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या एक, तीन व चार की ओर से अधिवक्ता श्री चन्द्रप्रकाश कूम्पावत उपस्थित हुए एवं उनकी ओर से जवाब प्रस्तुत किया। अप्रार्थी संख्या दो व पांच से आठ की ओर से इस न्यायालय द्वारा जारी नोटिस की तामिली के उपरान्त भी किसी भी प्रकार की कोई उपस्थिति नहीं दी गई।

(3) उभय पक्ष की बहस सुनी गई। बहस के दौरान पेरोकार सरकार ने प्रार्थी तहसीलदार, सिरोही के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि मन्दिर मूर्ति जो कि शास्वत नाबालिग है, की उक्त भूमि पर लाला वल्द धीरा 1/2, पूनमा वल्द अन्ना 1/4, हंसा वल्द पन्ना 1/8, अचला वल्द खीमा 1/8 कौम रावल ब्राह्मण सा. श्री सारणेश्वरजी सिरोही खातेदार दर्ज है, जिसे जरिए नामान्तरकरण संख्या 48 (जरिए रजिस्टर्ड बेचान) द्वारा श्री जगता, ओपा, रावता, ओबा पिसरान वन्नाजी को. राजगुरू ब्राह्मण सा देह खातेदार दर्ज किया गया। इसके उपरान्त नामान्तरकरण संख्या 355 दिनांक 01.02.2013 के द्वारा विरासत से जगता के स्थान पर लक्ष्मण, राजेन्द्र, कृष्ण पि. जगता, गीता पुत्री जगता, चुन्नीबाई पत्नि जगता दर्ज हुए। इसके उपरान्त जरिए नामान्तरकरण संख्या 456 दिनांक 20.02.2016 (विरासत) के द्वारा रावता के स्थान पर फालूबाई पत्नि रावता एवं नामान्तरकरण संख्या 472 दिनांक 20.02.2017 (विक्रय) के द्वारा फालूबाई पत्नि रावता के स्थान पर मोहनलाल पुत्र श्री अचलाराम [illegible] पश्चात नामान्तरकरण संख्या 561 दिनांक 05.10.2019 (विरासत) के द्वारा [illegible] ओ[illegible] पुत्र बन्ना के स्थान पर देवीबाई, दिवादेवी पुत्रिया ओपाराम, [illegible] ओपाराम दर्ज हुए एवं जरिए नामान्तरकरण संख्या [illegible] दिनांक [illegible]2020 (बेचान) के द्वारा गीता पुत्री जगता व चुनीबाई पत्नि जगता के स्थान पर मो[illegible]लाल पुत्र श्री ओपाराम के नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Alpa Choudhary
Date: 2025.02.12 15:58:52 IST
Reason: Self Attested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

हिस्सा दर्ज हुआ। जरिए नामान्तरकरण संख्या 678 दिनांक 16.12.2021 (हकत्याग) द्वारा कृष्ण पुत्र जगता द्वारा अपना हिस्सा राजेन्द्र पुत्र जगता के पक्ष में हकत्याग किए जाने से हिस्सा राजेन्द्र के पक्ष में दर्ज हुआ। यह कि उपरोक्त वर्णित परिवर्तनों को समाहित करने पर वर्तमान में प्रचलित जमाबन्दी के खाता संख्या 286 में उक्त आराजी अप्रार्थीगण के नाम से विभिन्न हिस्से दर्ज है। यह कि उक्त प्रकरण में मन्दिर के नाम दर्ज भूमि का जमाबन्दी संवत 2020–2023 में खातेदारों के नाम दर्ज किए गए एवं जरिए नामान्तरकरण संख्या 48 दिनांक 28.10.1964 द्वारा जो प्रथम बेचान हुआ है। कालान्तर में समस्त प्रविष्टियां इस कारण ही उत्तरोत्तर विभिन्न कारणों यथा विरासत, बेचान एवं हकत्याग से दर्ज हुई है। यह कि उक्त प्रकरण में महकमा बन्दोबस्त संवत 2013–2032 में उपभोक्ता का नाम दर्ज किया जाना एवं जमाबन्दी संवत 2020–2023 में उक्त उपभोक्ताओं को खातेदार के रूप में दर्ज किए जाने एवं इसके उपरान्त उन खातेदारों द्वारा बेचान किए जाने से उत्तरोत्तर हुए समस्त परिवर्तन नियम विरूद्ध है। मूर्ति शाश्वत रूप से नाबालिग है एवं नाबालिग की भूमि/खातेदारी अधिकार न तो किसी को हस्तान्तरित किए जा सकते है न ही मूर्ति की भूमि से खातेदार अधिकार समाप्त किए जा सकते है। अतः जो भी परिवर्तन प्रथम स्तर पर किए गए है, वे अदिति शून्य व प्रभावहीन है और उपभोक्ताओं को कोई अधिकार न तो विधि में प्राप्त होते है और न ही उत्पन्न होते है। इस कारण पश्चातवर्ती समस्त संव्यवहार व नामान्तरकरण अवैध व शून्य है, जो राजस्थान जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत नियम विरूद्ध होने से निरस्त किए जाने योग्य है। अतः मौजा तंवरी के बन्दोबस्त सम्वत 2071 से 2074 के खसरा नम्बर 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281 व 1282 कुल किता 15 कुल रकबा 6.22 हैक्टेयर भूमि मन्दिर श्री सारणेश्वरजी महादेव के नाम दर्ज करवाने के आदेश पारित किये जावे। जबकि अप्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री चन्द्रप्रकाश कूम्पावत ने बहस के दौरान अप्रार्थीगण के जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि उक्त आवेदन राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया है और विधि में राजस्थान सरकार पक्षकार की हैसियत धारण नहीं करता है। उक्त आवेदन जिस राजस्थान सरकार के कार्यकाल के दौरान प्रस्तुत किया गया था, वह राजस्थान सरकार पदच्युत हो चुकी है और प्रस्तुत आवेदन परिपोषणीय नहीं होने से खारिजगी काबिल है। यह कि महकमा बन्दोबस्त संवत 2000 के खाता संख्या 150 के अनुसार खसरा नम्बर 224 वगैरा कुल किता 7 रकबा 38 बीघा 9 बिस्वा में कॉलम संख्या 2 के अनुसार नाम जमींदार में वल्दियत कौमियत सकूनत के रूप में श्री सारणेश्वरजी स्थान सिरोही दर्ज होना जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। यह कि प्रार्थी द्वारा किए गए कथन अनुसार श्री सारणेश्वरजी स्थान सिरोही को जमींदार के रूप में दर्शाया [illegible] य समस्त जागीरदारों से उनके निजी भूमि के सम्बन्ध में विवरण चा[illegible]या [illegible] और जागीरदार/जमींदारों की खुदकाश्त की भूमि उनके खा[illegible] [illegible] जागीरदारों को मुआवजा भी प्रदान किया गया है। शेष समस्त [illegible] श्तकार के रूप में काश्त कर रहे व्यक्तियों को खातेदार के रूप में तथा राजस[illegible] राज्य को प्राप्त हुई है। सिरोही रियासत में कोई अभिद्यृति अधिनियम प्रभाव में नहीं था। जागीर समय में प्रार्थी द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Alpa Choudhary
Date: 2025.02.12 15:58:52 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर सिरोही

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

दर्शाए अनुसार व्यक्ति बतौर खातेदार काश्त कर रहे थे और राजस्थान अभिधृति अधिनियम के प्रभाव से उक्त व्यक्तियों को उनके कब्जे काश्त की भूमि में खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए। देवस्थान भूमि की भी बंदोबस्ती हुई है और जमींदार/जागीरदारों की भूमि की जब्ती पर उन्हें वार्षिकी प्रदान की गई है। आवेदन में किए गए अभिकथनों से यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि जागीरदार श्री सारणेश्वरजी स्थान सिरोही के खुद काश्त की भूमि नहीं थी। जागीर समाप्ति पर अतः तदर्थ काश्तकारों के भूमि में बतौर खातेदार काश्तकार काबिज होने के कारण विधि अनुसार उन्हें खातेदारी अधिकार प्रदान किए गए है। यह कि उक्त भूमि तदर्थ खातेदारों से श्री जगता, श्री ओपा, श्री रावता व श्री ओबा पिसरान वन्नाजी द्वारा पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 26.05.1963 के जरिए खरीद किए जाने से भूमि क्रेतागण के नाम दर्ज हुई। यह कि उक्त भूमि मन्दिर के नाम कभी भी दर्ज नहीं रही है। उक्त भूमि श्री सारणेश्वरजी स्थान सिरोही के नाम बतौर जागीरदार/जमींदार दर्ज होना स्वीकृत तथ्य है। उक्त भूमि जागीरदार/जमींदार के खुद काश्त की नहीं होना भी स्वीकृत तथ्य है। यह कि उक्त भूमि जागीरदार श्री सारणेश्वरजी स्थान सिरोही के नाम दर्ज थी और उक्त भूमि में काश्तकार के रूप में श्री लाला, श्री पुनमा, श्री हंसा व श्री अचला काबिज काश्त थे। जागीर जब्त होने पर जागीरदारों को मुआवजा तथा वार्षिकी प्राप्त हुई है। उक्त भूमि में श्री लाला, श्री पुनमा, श्री हंसा व श्री अचला बतौर काश्तकार काबिज होने से उन्हें खातेदारी अधिकार विधि अनुसार दिए गए है। तदर्थ खातेदारों द्वारा भूमि विक्रय किए जाने पर वर्तमान में अप्रार्थीगण स्वयं व अपने पूर्वरसाधिकारियों के जरिए गत 60 वर्षो से उक्त भूमि पर बतौर खातेदार काबिज काश्त है। राजस्व अधिकारियों द्वारा किए गए परिवर्तन अदिति शून्य व प्रभावहीन नहीं है अपितु विधिवत व नियमानुसार है। उक्त प्रथम स्तर पर किए गए इन्द्राज तथा पश्चातवर्ती इन्द्राज को निरस्त करवाने का अधिकार प्रार्थी अधिकारी को नहीं है और पंजीकृत विक्रय विलेख निरस्त करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है। अतः प्रार्थी का रेफरेन्स विधि में परिपोषणीय ही नहीं है। यह कि विधि में प्रत्येक अनुतोष हेतु अवधि नियत है और जिन प्रावधानों के लिए अवधि नियत नहीं है उन्हें वहां यथोचित समय के भीतर चुनौती दिया जाना माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 1997 SAR 783 में व उच्च न्यायालय ने 1999 RLW(3) 1390 में अभिनिर्धारित किया है। प्रार्थी को करीब 70 वर्ष पश्चात उक्त इन्द्राजों को चुनौती देने का कोई अधिकार ही नहीं है और न उस हेतु उक्त रेफरेन्स अवधि मध्य है। यह कि प्रश्नगत भूमि में श्री लाला, श्री पुनमा, श्री हंसा व श्री अचला जागीर समय में काश्तकार के रूप में काश्त कर रहे थे। उक्त भूमि जागीरदार के खुदकाश्त की भूमि नहीं होने से उन्हें राजस्थान राज्य के तदर्थ राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा विधिक प्रावधानों अनुसार खातेदारी अधिकार प्रदान किए गए है। अपने स्वयं के ही पूर्व रसाधिकारियों के कृत्य को चुनौती देने का अधिकार प्रार्थी को नहीं है। यह कि धारा [illegible] राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के प्रावधान वर्तमान प्रकरण में [illegible] प्रश्नगत भूमि के खातेदार बन चुके है। खातेदारी अधिकार उक्त प्रकरण में निरस्त नहीं किए जा सकते है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स परिपोषणीय नहीं होने से खारिज की काबिल है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Alpa Choudhary
Date: 2025.02.12 15:58:52 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर सिरोही (राज.)

जिला कलेक्टर, सिरोही

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो यह पाया कि ग्राम तंवरी, तहसील– सिरोही, जिला– सिरोही के वर्तमान खसरा संख्या 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281 व 1282 कुल किता 15 कुल रकबा 6.22 हैक्टेयर की भूमि श्री सारणेश्वरजी स्थान सिरोही के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी। पत्रावली पर उपलब्ध महकमा बन्दोबस्त संवत 2000 के खाता संख्या 150 की प्रमाणित प्रतियों एवं बन्दोबस्त मिलान रकबा के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि मन्दिर मूर्ति संवत 2013–2032 तक राजस्व रेकर्ड में यथावत दर्ज रही है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि महकमा बन्दोबस्त संवत 2000 के खाता संख्या 150 के अनुसार खसरा नम्बर 224, 225, 226, 227, 228, 229 व 230 कुल किता 7 रकबा 38 बीघा 09 बिस्वा में कॉलम संख्या 2 के अनुसार नाम जमींदार मय वल्दियत कौमियत सकूनत के रूप में श्री सारेणश्वरजी स्थान सिरोही दर्ज है। खतौनी बन्दोबस्त संवत् 2013 से 2032 के खाता संख्या 197 से यह तथ्य पूर्णतया साबित है कि उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड में कॉलम संख्या 3 में भोक्ता का नाम श्री सारणेश्वरजी स्थान सिरोही माफी देवस्थान सिरोही का नाम दर्ज है एवं कॉलम संख्या 4 में उपभोक्ता का नाम लाला वल्द धीरा 1/2, पूनमा वल्द अन्ना 1/4, हंसा वल्द पन्ना 1/8, अचला वल्द खीमा 1/8 कौम ब्राह्मण सा. देह प.ल.न. 191 खातेदार दर्ज है। इसके उपरान्त जमाबन्दी संवत 2020–2023 में खाता संख्या 173 में कॉलम संख्या 3 व 4 में श्री सरकार दर्ज है एवं कॉलम संख्या 5 में लाला वल्द धीरा 1/2, पूनमा वल्द अन्ना 1/4, हंसा वल्द पन्ना 1/8, अचला वल्द खीमा 1/8 कौम रावल ब्राह्मण सा. श्री सारणेश्वरजी सिरोही खातेदार दर्ज है। इसी जमाबन्दी के कॉलम संख्या 22 विशेष विवरण में जरिए नामान्तरकरण संख्या 48 (जरिए रजिस्टर्ड बेचान) द्वारा श्री जगता, ओपा, रावता, ओबा पिसरान वन्नाजी को. राजगुरू ब्राह्मण सा देह खातेदार दर्ज हुआ है। अतः संवत 2020 से 2023 के खाता संख्या 173 में इस मन्दिर मूर्ति की भूमि पर बिना किसी अधिकारिता के लाला वल्द धीरा 1/2, पूनमा वल्द अन्ना 1/4, हंसा वल्द पन्ना 1/8, अचला वल्द खीमा 1/8 कौम रावल ब्राह्मण सा. श्री सारणेश्वरजी सिरोही खातेदार दर्ज किया गया है। जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 14 के अनुसार खातेदार, गैर खातेदार के अलावा किसी भी हक को शुमार होने की अधिकारिकता नहीं है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त भूमि संवत 2000 से राजस्व रेकर्ड में मन्दिर मूर्ति के नाम दर्ज दी एवं उसके बाद संवत 2020 से 2023 तक खाता संख्या 173 में मन्दिर मूर्ति की भूमि पर लाला वल्द धीरा 1/2, पूनमा वल्द अन्ना 1/4, हंसा वल्द पन्ना 1/8, अचला वल्द खीमा 1/8 कौम रावल ब्राह्मण सा. श्री सारणेश्वरजी सिरोही खातेदार दर्ज किया गया। यह कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संवत 2012 (15 अक्टूबर 1955) में लागू हुआ एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू होने के बाद भी उक्त भूमि संवत 2020 तक मन्दिर मूर्ति के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी। यह भी उल्लेखनीय है कि पूर्व में उक्त भूमि मंदिर के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज रही थी परन्तु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के बाद संवत 2020 से 2023 के खाता संख्या 173 में मन्दिर के नाम को विलोपित करते हुए लाला वल्द धीरा 1/2, पूनमा वल्द अन्ना 1/4, हंसा वल्द पन्ना 1/8, अचला वल्द खीमा 1/8 कौम रावल ब्राह्मण सा. श्री सारणेश्वरजी सिरोही खातेदार दर्ज की गई है, जो कानूनन गलत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Alpa Choudhary
Date: 2025.02.12 15:58:52 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि लाला वल्द धीरा, पूनमा वल्द अन्ना, हंसा वल्द पन्ना, अचला वल्द खीमा कौम रावल ब्राह्मण का नाम खतौनी जमाबन्दी संवत 2020 से 2023 के खाता संख्या 173 में रहने योग्य नहीं है। राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी खतौनी 2020 से 2023 के खाता संख्या 173 में लाला वल्द धीरा 1/2, पूनमा वल्द अन्ना 1/4, हंसा वल्द पन्ना 1/8, अचला वल्द खीमा 1/8 कौम रावल ब्राह्मण बतौर सा. श्री सारणेश्वरजी सिरोही खातेदार बिना किसी आधार एवं बिना किसी अधिकारिता के खातेदार दर्ज कर दिया गया, जो कानूनन गलत है। मन्दिर मूर्ति शास्वत नाबालिग है एवं मन्दिर मूर्ति की भूमि पर किसी अन्य व्यक्ति का नाम बतौर खातेदार दर्ज किया गया है, जो कानूनन गलत है। इस प्रकार, मन्दिर भूमि पर दी गई खातेदारी राजस्व रेकर्ड पर रहने योग्य नहीं है। माननीय राजस्व मण्डल ने भी मन्दिर मूर्ति की भूमियों पर खातेदारी अधिकार पाने का किसी को अधिकारी नहीं माना है, क्योंकि मन्दिर मूर्ति शास्वत नाबालिग है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि भू प्रबन्ध विभाग ने जमाबन्दी 2013 से 2032 के खाता संख्या 197 को नजर अंदाज कर कॉलम संख्या 3 में मन्दिर का नाम श्री सारणेश्वरजी स्थान सिरोही माफी देवस्थान सिरोही का अंकन होते हुए भी खतौनी जमाबन्दी संवत 2020 से 2023 के खाता संख्या 173 में मन्दिर के नाम को विलोपित करते हुए लाला वल्द धीरा 1/2, पूनमा वल्द अन्ना 1/4, हंसा वल्द पन्ना 1/8, अचला वल्द खीमा 1/8 कौम रावल ब्राह्मण सा. श्री सारणेश्वरजी सिरोही खातेदार दर्ज कर दिया। जबकि भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा किया गया यह इन्द्राज अधिकारिता से परे है जो राजस्व रेकर्ड पर रहने योग्य नहीं है। मन्दिर मूर्ति की भूमि पर गलत तौर पर राजस्व रेकर्ड में लाला वल्द धीरा, पूनमा वल्द अन्ना, हंसा वल्द पन्ना, अचला वल्द खीमा कौम रावल ब्राह्मण देह का नाम बतौर सा. श्री सारणेश्वरजी सिरोही खातेदार इन्द्राज कर दिए जाने के कारण खातेदारान द्वारा उक्त आराजी को बेचान करने से जरिए नामान्तकरण संख्या 48 दिनांक 28.10.1964 के द्वारा श्री जगता, ओपा, रावता, ओबा पिसरान वन्नाजी को. राजगुरू ब्राह्मण सा देह खातेदार राजस्व रेकर्ड में दर्ज हो गया। चूंकि लाला वल्द धीरा, पूनमा वल्द अन्ना, हंसा वल्द पन्ना, अचला वल्द खीमा कौम रावल ब्राह्मण को राजस्व रेकर्ड पर मन्दिर मूर्ति की भूमि के खातेदार रहने का कोई अधिकार नहीं था, इसलिए श्री जगता, ओपा, रावता, ओबा पिसरान वन्नाजी को. राजगुरू ब्राह्मण नाम भी किसी भी प्रकार से राजस्व रेकर्ड पर रहने योग्य नहीं है।

यह कि राजस्व रेकर्ड में लाला वल्द धीरा, पूनमा वल्द अन्ना, हंसा वल्द पन्ना, अचला वल्द खीमा कौम रावल ब्राह्मण का उक्तानुसार गलत तौर पर बतौर खातेदार नाम दर्ज हो जाने के बाद इनके द्वारा श्री जगता, ओपा, रावता, ओबा पिसरान वन्नाजी को. राजगुरू ब्राह्मण को मन्दिर मूर्ति की भूमि का बेचान कर दिया, जिस पर नामान्तरकरण संख्या 48 दिनांक 28.10.1964 के द्वारा श्री जगता, ओपा, रावता, ओबा पिसरान वन्नाजी को. राजगुरू ब्राह्मण इस मन्दिर मूर्ति की भूमि पर बतौर खातेदार दर्ज हो गए। इस प्रकार, मंदिर मूर्ति जो कि शाश्वत नाबालिग है, की भूमि पर लाला वल्द धीरा, पूनमा वल्द अन्ना, हंसा वल्द पन्ना, अचला वल्द खीमा कौम रावल ब्राह्मण का राजस्व रेकर्ड पर आना नियमों के विपरीत है [illegible] से मंदिर मूर्ति की भूमि पर श्री जगता, ओपा, रावता, ओबा पिसरान वन्नाजी को. राजगुरू ब्राह्मण का नाम भी राजस्व रेकर्ड पर बतौर खातेदार [illegible] नहीं है। इस प्रकार, उक्त नामान्तरकरण संख्या 48 दिनांक 28.10.1964 [illegible] के उपरान्त नामान्तरकरण संख्या 355 दिनांक 01.02.2013 के द्वारा विरासत से [illegible]ता के स्थान पर लक्ष्मण, राजेन्द्र, कृष्ण पि. जगता, गीता पुत्री जगता, चुन्नीबाई पत्नि जगता दर्ज हुए। इसके उपरान्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Alpa Choudhary
Date: 2025.02.12 15:58:52 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

जरिए नामान्तरकरण संख्या 456 दिनांक 20.02.2016 (विरासत) के द्वारा रावता के स्थान पर फालूबाई पत्नि रावता एवं नामान्तरकरण संख्या 472 दिनांक 20.02.2017 (विक्रय) के द्वारा फालूबाई पत्नि रावता के स्थान पर मोहनलाल पुत्र श्री अचलाराम जाति पुरोहित दर्ज हुआ। तत्पश्चात नामान्तरकरण संख्या 561 दिनांक 05.10.2019 (विरासत) के द्वारा श्री ओपा पुत्र बन्ना के स्थान पर देवीबाई, दिवादेवी पुत्रिया ओपाराम, मोहनलाल, बसन्त कुमार पुत्रगण ओपाराम दर्ज हुए एवं जरिए नामान्तरकरण संख्या 614 दिनांक 21.09.2020 (बेचान) के द्वारा गीता पुत्री जगता व चुनीबाई पत्नि जगता के स्थान पर मोहनलाल पुत्र श्री ओपाराम के नाम हिस्सा दर्ज हुआ। जरिए नामान्तरकरण संख्या 678 दिनांक 16.12.2021 (हकत्याग) द्वारा कृष्ण पुत्र जगता द्वारा अपना हिस्सा राजेन्द्र पुत्र जगता के पक्ष में हकत्याग किए जाने से हिस्सा राजेन्द्र के पक्ष में दर्ज हुआ। अतः उपरोक्त वर्णित परिवर्तनों को समाहित करने पर वर्तमान में प्रचलित जमाबन्दी के खाता संख्या 286 में उक्त आराजी का अप्रार्थीगण के नाम से मन्दिर मूर्ति की भूमि पर बतौर खातेदार किया गया इन्द्राज राजस्व रेकर्ड में रहने योग्य नहीं है।

अतः प्रार्थी तहसीलदार, सिरोही द्वारा अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 को स्वीकार किया जाकर ग्राम तंवरी, तहसील– सिरोही जिला सिरोही के नामान्तरकरण संख्या 48 दिनांक 28.10.1964 को निरस्त करने एवं ग्राम तंवरी, तहसील– सिरोही जिला सिरोही के वर्तमान खसरा संख्या 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281 व 1282 कुल किता 15 कुल रकबा 6.22 हैक्टेयर भूमि मन्दिर श्री सारणेश्वरजी स्थान सिरोही माफी देवस्थान सिरोही के नाम दर्ज करवाने हेतु प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को रेफर किये जाने के आदेश दिये जाते है। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में पक्षकारान दिनांक 07.04.2025 को सुनवाई हेतु उपस्थित होवे। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को मूल पत्रावली मय निर्णय की अतिरिक्त प्रति के सुनवाई तिथि से पूर्व प्रेषित की जावे।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(अल्पा चौधरी)
जिला कलक्टर, सिरोही

न्यायालय जिला कलक्टर सिरोही (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Alpa Choudhary
Date: 2025.02.12 15:58:52 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner